झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय (बजट)–सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 26 फाल्गुन, 1941 (श) को 16 मार्च, 2020 (ई०) झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा० संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
298–	गo–11	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	थाना भवन बनवाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	20/02/20
299–	काo–20	श्री जयप्रकाश भाई पटेल,	उच्चतम वेतनमान में नियुक्ति करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	06/03/20
300–	काo–16	श्री दशरथ गागराई,	महिलाओं को आरक्षण देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	02/03/20
301–	गo–23	श्रीमती दीपिका पाण्डेय, सिंह,	नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	01/03/20
302–	काo–14	श्री राजेश कच्छप,	केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	29/02/20
303–	गo–31	श्री अमित कुमार यादव,	आरक्षियों के वर्दी भत्ता में वृद्धि करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	05/03/20

1.	2.	3.	4.	5.	6.
304-	ग0-25	सुश्री अम्बा प्रसाद,	हत्या की सी0आई0डी0 जाँच करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	01/03/20
305-	योवि0-03	श्री विकास कुमार मुंडा,	कोषागार की स्थापना करना।	योजना सह वित्त	07/03/20
306-	जन-02	श्री बन्धु तिर्की,	जनजातिय भाषाओं में सूचना प्रसारण कराना।	सूचना एवं जनसम्पर्क	22/02/20
307-	का0-11	श्री मनीष जायसवाल,	रिक्त पदों पर नियुक्ति करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	29/02/20
308-	ग0-32	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता,	महिला थाना स्थापित कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	06/03/20
309-	ग0-12	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	मुआवजा दिलाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	22/02/20
310-	का0-02	श्री अमित कुमार मंडल,	अंगिका को राष्ट्रीय राजभाषा का दर्जा दिलाना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	20/02/20
311-	ग0-07	श्री बिनोद कुमार सिंह,	पीड़ित को मुआवजा दिलाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	20/02/20
312-	ग0-17	श्री लम्बोदर महतो,	मुआवजा दिलाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	29/02/20
313-	का0-15	श्री सुदेश कुमार महतो,	लोहार को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	29/02/20
314-	ग0-36	श्री रणधीर कुमार सिंह,	थाना भवन का निर्माण कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	08/03/20
315-	का0-13	श्री विकास कुमार मुंडा,	ट्रेजरी की स्थापना करना।	योजना सह वित्त	29/02/20

कृ0पृ0उ0-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
316-	का0-18	श्री रामचन्द्र सिंह,	अनुमंडल का दर्जा देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	02/03/20
317-	ग0-08	श्री बिनोद कुमार सिंह,	मुआवजा दिलाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	20/02/20
318-	ग0-22	श्री नवीन जयसवाल,	चौकीदार के नामित को नियुक्ति करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	29/02/20
319-	जन0-01	श्री सरयू राय,	दोषी अधिकारीयों पर कार्रवाई।	सूचना एवं जनसम्पर्क	20/02/20
320-	ग0-18	श्री राजेश कच्छप,	तड़ित रोधक यंत्र लगाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	29/02/20
321-	का0-17	श्री सुदेश कुमार महतो,	बढ़ाईक को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	02/03/20
322-	ग0-21	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,	पुलिस पिकेट खोलना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	29/02/20
323-	ग0-26	श्रीमती दीपिका पाण्डेय, सिंह,	अभियार्थियों की दूसरी लिस्ट निकालना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	02/03/20
324-	का0-12	श्री ढुलू महतो,	अनुमंडल बनाना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	29/02/20
325-	ग0-16	श्री लम्बोदर महतो	आश्रित को मुआवजा दिलाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	29/02/20
326-	ग0-24	श्री समरी लाल	भूमि मुल्य का भुगतान कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	01/03/20
327-	ग0-29	सुश्री अम्बा प्रसाद,	द्वितीय सूची प्रकाशित करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	05/03/20

कृ0पृ0उ0-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
328-	का0-19	श्री अमित कुमार मंडल,	जातिय जनगणना कराना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	06/03/20
329-	ग0-19	श्री मनीष जायसवाल,	रिक्त पदों पर नियुक्ति।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	29/02/20

राँची
दिनांक- 16 मार्च, 2020 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- संख्या-प्रश्न-02/2020.....1016...../वि0स0, राँची, दिनांक- 13/03/2020
प्रति - झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2020
(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- संख्या-प्रश्न-02/2020.....1016...../वि0स0, राँची, दिनांक- 13/03/2020
प्रति - माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय एवं अपर सचिव, प्रश्न तथा संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

13/03/2020
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- संख्या-प्रश्न-02/2020.....1016...../वि0स0, राँची, दिनांक- 13/03/2020
प्रति - कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

13/03/2020
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

13/03/20

(298)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत पूर्वी टुण्डी का अपना थाना भवन नहीं है, जिससे वहाँ प्रतिनियुक्त कर्मियों को असुरक्षा के साथ–साथ कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में पूर्वी टुण्डी थाना पंचायत भवन में कार्यरत है। वहां प्रतिनियुक्त कर्मियों की सुरक्षा हेतु कटीले तार समेत अन्य सुरक्षा के प्रावधान किये गये है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्वी टुण्डी का थाना भवन निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	बजट में निधि तथा सरकारी भूमि की उपलब्धता होने पर आगामी वित्तीय वर्षों में इस थाना के लिए भवन का निर्माण कराने पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03 / वि०स० (ता०)–802 / 2020– 1239 / राँची, दिनांक– 14/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–62, दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

(299)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–20 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकारी कर्मियों के मृत्योपरान्त आश्रित को विधवा पेंशन के साथ इनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान है;	अंशतः स्वीकारात्मक। सरकारी कर्मियों की मृत्यु के उपरान्त आश्रित को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन देय है। साथ ही, कार्मिक विभागीय परिपत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 के आलोक में सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में मृत सरकारी सेवक के परिभाषित आश्रितों में से किसी एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है कि अनुकम्पा के आधार पर वर्ग–3 एवं वर्ग 4 के न्यूनतम पदों पर नियुक्ति की जाती है;	स्वीकारात्मक। कार्मिक विभागीय परिपत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति वेतनमान PB-I, 5200–20200, ग्रेड वेतन 1800/1900 तक समूह 'ग' के सभी प्रकार के पदों पर तथा समूह 'घ' के अधिकतम 1800 ग्रेड वेतन तक के सभी प्रकार के पदों पर की जा सकती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार योग्यता के आधार पर वर्ग–3 के उच्चतम वेतनमान में नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सेवाकाल में सरकारी सेवकों के असामयिक निधन के उपरान्त उनके आश्रित परिवार के जीविकोपार्जन का आधार अचानक समाप्त हो जाने के कारण उस परिवार को आर्थिक संकट से उबारना तथा परिवार को तत्क्षण आर्थिक सहायता पहुँचाया जाना इस योजना का उद्देश्य है। उपर्युक्त कंडिका 2 में उल्लिखित वेतनमानों में उपलब्ध रिक्ति एवं आश्रित अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आश्रित को वर्ग 3 के उच्चतम वेतनमान में नियुक्ति का प्रस्ताव विधाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा0वि0स0–07–18/2020 का0–1908/रांची, दिनांक 13.3.2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या– 849/वि0स0, दिनांक–06.03.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

300

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–16 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्तियों में महिलाओं के निमित आरक्षण का प्रावधान है,	स्वीकारात्मक। झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत सीधी भर्ती हेतु सभी नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के अनारक्षित एवं आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रावधान के आलोक में झारखण्ड पुलिस एवं प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में क्रमशः 33 प्रतिशत, 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जा चुका है,	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य किया गया है तथा झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति) 2014 के द्वारा झारखण्ड पुलिस संवर्ग के आरक्षी के पदों पर सीधी नियुक्ति में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए कण्डिकित किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि दिनांक–05.11.2017 में हुए परीक्षा के आधार पर पलामू जिला में चतुर्थवर्गीय कर्मियों के नियुक्ति प्रक्रिया में महिलाओं का आरक्षण दिए बगैर ही नियुक्ति प्रक्रिया में मेधा सूची पैनल प्रकाशित किया जा चुका है,	स्वीकारात्मक। परन्तु उपायुक्त, पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अंतिम रूप से प्रकाशित किए जाने वाले पैनल में महिलाओं को पाँच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पलामू जिला के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति में महिलाओं को आरक्षण देने का विचार है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा0वि0स0–07–11/2020 का0–1907/राँची, दिनांक 13.3.2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या– 646/वि0स0, दिनांक–02.03.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

301

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जिला समादेष्टा कार्यालय झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, गोड्डा द्वारा विज्ञापन संख्या–1/2018 द्वारा ग्रामीण गृह रक्षक की नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त किया गया ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2009 में भी इसी तरह का विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन समर्पित कराया गया था ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि दो वर्ष के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्थी हतोत्साहित हो रहे है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब–तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति गृह रक्षकों के नवनामांकन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स० (सत्र)–03/2020– 1237 / राँची, दिनांक– 13/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–597, दिनांक–01.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

*302. श्री राजेश कच्छप--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नाई एवं हजाम एक ही जाति समुदाय के है;

(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय ओ०बी०सी० सूची मे नाई जाति के साथ हजाम जाति दर्ज नही है;

(3) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय ओ०बी०सी० सूची मे नाई जाति के साथ हजाम जाति दर्ज नही होने के कारण ओ०बी०सी० प्रमाण-पत्र नही दिया जा रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार केन्द्रीय ओ०बी०सी० सूची मे नाई के साथ हजाम जाति को दर्ज करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का विचार रखती है, हो, तो कब तक, नही तो क्यो ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) स्वीकारात्मक ।

(4) कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या-5826, दिनांक 19 सितम्बर, 2011 द्वारा राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 44 पर नाई के प्रकोष्ट में हजाम को नाई (हजाम) के रूप मे दर्ज किया गया है तथा संकल्प की प्रतिलिपि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को झारखण्ड राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची मे सम्मिलित करने के सम्बन्ध मे यथा स्थिति कार्रवाई के अनुरोध के साथ प्रेषित की गयी है ।

303

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–31 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षियों को वर्दी भत्ता के रूप में 4,000/– (चार हजार) रूपये का भुगतान किया जा रहा है, जबकि झारखण्ड से सटे बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में वर्दी भत्ता के रूप में 10,000/ (दस हजार) रूपये का भुगतान किया जाता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार आरक्षियों के हित में बिहार, छत्तीसगढ़ राज्यों के अनुरूप 10,000/– (दस हजार) रूपया वर्दी भत्ता के रूप में भुगतान कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	राज्य के पुलिसकर्मियों को केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में विभिन्न भत्तों को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–10/2020– 1322 / राँची, दिनांक– 13/03/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–774, दिनांक–05.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी प्रखण्ड के ग्राम–गर्री खुर्द में दिनांक–15.09.2018 को तिहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें सरकारी शिक्षक दिनेश्वर साव, पिता–स्व० खैदू साव की बहू, पुत्री तथा छह माह की पोती की हत्या अज्ञात हत्यारों के द्वारा कर दी गयी थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित घटना के पश्चात् केरेडारी थाना में कांड संख्या–48/18 के तहत मामला दर्ज किया गया था पर अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नही हो पाई है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि मृतक के पिता/ ससुर दिनेश्वर साव के द्वारा पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग, पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची को कमशः 03/12/18 तथा 27/08/19 को आवेदन देकर एस०आई०टी० अथवा सी०आई०डी० से जांच करने का आग्रह किया था ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मामले की सी०आई०डी० से जांच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	1. इस मामले में दिनांक–06.03.2019 को SIT का गठन कर दिया गया है जिसके द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। 2. चूंकि SIT का गठन कर दिया गया है इसलिए इस मामले को जाँच हेतु CID को सौपने का कोई औचित्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–702/2020–1321/ राँची, दिनांक– 13/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–595, दिनांक–01.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

(305)

श्री विकास कुमार गुण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 16.03.2020 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– योवि–03 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

तारांकित प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि राँची जिले के तमाड़ विधान–सभा क्षेत्र अंतर्गत बुण्डू अनुमण्डल में अबतक अनुमण्डलीय कोषागार की स्थापना नहीं की गई है।	स्वीकारात्मक।
(2.) क्या यह बात सही है कि अनुमण्डलीय कोषागार नहीं होने की स्थिति में सरकारी कार्यों में व्यवधान एवं अनावश्यक विलम्ब की स्थिति बनती है।	अस्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बुण्डू अनुमण्डल मुख्यालय में कोषागार की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	कोषागार का कार्य Online हो जाने के कारण नए कोषागार की स्थापना पर वर्तमान समय में विचार नहीं किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि.स. (4)–13/2020.....127/वि०वि० राँची/दिनांक 13/3/2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञाप सं. प्र. 879/वि०स०, राँची, दिनांक 07.03.2020 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अपेक्षित कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.03.2020

(अविनाश कुमार सिंह)
अपर सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड,
राँची।

तारांकित

*306. श्री बंधु तिर्की--क्या मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य की 4 जनजातीय भाषा यथा कुड़ुख, मुण्डारी, संथाली और हो से राज्य सरकार के सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सीधा प्रसारण वेबकास्टिंग के माध्यम से होता था, परन्तु 20 जनवरी, 2020 से वर्णित जनजातीय भाषाओं में सूचना का कार्यक्रम बंद कर दिया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनजातीय आबादी के हित में जनजातीय भाषाओं में सूचना प्रसारण करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों (विशेषकर मा० मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों) का सीधा प्रसारण हिन्दी के साथ-साथ जनजातीय भाषा (कुड़ुख, मुण्डारी, संथाली और हो) में वेबकास्टिंग के माध्यम से किया जाता था । विधानसभा आम चुनाव 2019 में आचार संहिता लागू होने के बाद से उक्त प्रसारण स्थगित है ।

(2) उपरोक्त कार्यक्रम विचाराधीन है ।

307

श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सचिवालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक का लगभग दस हजार पद अबतक रिक्त है, जिसके कारण संबंधित विभागों में आये दिन कार्यों के संचालन में कठिनाई हो रही है;	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** सचिवालय में झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा अन्तर्गत कनीय सचिवालय सहायक का कुल 524 पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध वर्त्तमान में 92 पदों पर कनीय सचिवालय सहायक कार्यरत हैं तथा 432 पद रिक्त हैं। 2. विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक के कुल 4745 पद रिक्त हैं। (राज्य के 22 विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर)
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2019 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक 182 पदों को सरेंडर कर उक्त पद के जगह 182 कम्प्यूटर ऑपरेटरों का पद सृजित करने का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति को भेजा है तथा उक्त पदों पर नियुक्ति बाहरी स्रोत से करने की अनुशंसा की है;	जल संसाधन विभाग, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य में खण्ड–01 में वर्णित कार्यालयों में न तो कम्प्यूटर ऑपरेटरों का कोई पद अबतक चिन्हित है, और न ही उक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित अबतक कोई नियमावली बनी है;	**अस्वीकारात्मक।** खण्ड–1 की कंडिका–2 में यथावर्णित।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खण्ड–2 में वर्णित पदों को सरेंडर करने के बदले खण्ड–1 वर्णित सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति का विचार रखती है; हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	जल संसाधन विभाग अन्तर्गत खण्ड–2 में वर्णित पदों के प्रत्यर्पण की कार्रवाई विचाराधीन है। जल संसाधन विभाग एवं राज्य के अन्य विभागों में लिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित विभाग द्वारा अधियाचना उपलब्ध कराए जाने के उपरांत झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के उपरांत आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाती है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि0स0–06–03 / 2020 का0 1940 /राँची दिनांक– 14 मार्च, 2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–508 दिनांक–29.02.2020 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एच0 के0 सुधांशु)
सरकार के अवर सचिव।

308

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–32 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अब तक महिला थाना की स्थापना नहीं की गयी है ;	स्वीकारात्मक। गृह विभाग की अधिसूचना संख्या–2462, दिनांक–29.06.2005 के द्वारा धनबाद जिला के सदर थाना को महिला थाना के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण धनबाद जिला है तथा यह वर्तमान में कार्यरत है।
2	क्या यह बात सही है कि महिलाओं के साथ होने वाले गंभीर अपराध/छेड़खानी/हत्या आदि जैसे मामलों में महिलाओं को महिला थाना नहीं होने के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ती है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार प्रखण्ड निरसा में महिलाओं के हित के लिए महिला थाना स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	सम्प्रति धनबाद जिला के निरसा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अलग से महिला थाना खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–11/2020– 1320 / राँची, दिनांक– 13/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–846, दिनांक–06.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\Questions (Budget) 20.doc P-6

309

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–म–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत टुण्डी प्रखण्ड के नवाटाँड गाँव निवासी देवान हाँसदा को गिरिडीह जिला अंतर्गत खुखरा थाना काण्ड सं०–9/18 में विचाराधीन कैदी के रूप में गिरिडीह मंडल कारा में रखा गया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अस्वस्थ होने के बाद उसे रिम्स, राँची में ईलाज के लिए लाया गया और ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी ;	स्वीकारात्मक। दिनांक–01.02.2020 को बंदी देवान हाँसदा उर्फ वरकु हाँसदा की तबियत खराब होने के कारण पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह के द्वारा प्रतिनियुक्त सुरक्षा बल के साथ इन्हें सदर अस्पताल, गिरिडीह भेजा गया। चिकित्सकों द्वारा मेडिकल बोर्ड गठित कर विशेष जाँच एवं ईलाज हेतु रिम्स, राँची भेजने की अनुशंसा की गई। फलस्वरूप दिनांक–01.02.2020 को बेहतर जाँच एवं ईलाज हेतु रिम्स, रांची भेजा गया। वहाँ ईलाज के क्रम में दिनांक–15.02.2020 को उक्त बंदी की मृत्यु हो गयी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मृतक के परिवार को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त से स्पष्ट है कि संदर्भित बंदी का देहान्त सामान्य बीमारी के फलस्वरूप हुआ है। इन्हें ईलाज की सुविधा तत्परता के साथ उपलब्ध कराई गई। पन्द्रह दिन RIMS राँची में रहने के बाद मृत्यु हुई है। इनकी मृत्यु न तो किसी दुर्घटना के कारण हुई और न ही ईलाज में कोई कोताही बरती गई है। ऐसी परिस्थिति में मुआवजा भुगतान का कोई प्रावधान नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–04/2020–1080/ राँची, दिनांक–27/02/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–184, दिनांक–22.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(310)

श्री अमित कुमार मण्डल, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त दिनांक 16.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–02 का उत्तर

क्र. सं	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में अंगिका भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है ?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में अंगिका भाषा को संरक्षित एवं संवर्द्धन के लिए अंगिका विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक हो गई है ?	अस्वीकारात्मक। भाषा के स्तर से विश्वविद्यालय स्थापित करने का सरकार का कोई निर्णय नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार की सूची में अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है ?	स्वीकारात्मक। संविधान के अनुच्छेद– 343 के अनुसार **"संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।"**
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अंगिका को राष्ट्रीय राजभाषा का दर्जा दिलाने के भारत सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन भेजने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

ज्ञापांक– राज0/वि0स0–05/2020 का0....1856.../ राँची, दिनांक– 12 मार्च, 2020

प्रति, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञांप संख्या– 65, दिनांक– 20.02.2020 के आलोक में 200 प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/03/202

(ओम प्रकाश साह)

सरकार के संयुक्त सचिव

(311)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–07 की उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में गत पाँच वर्षों में लातेहार, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला, गिरिडीह समेत अन्य जिलों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में एक दर्जन से ज्यादा निर्दोष मारे गये है।	स्वीकारात्मक वर्ष 2015 से 2019 तक मॉब लिंचिंग में कुल 41 लोगों की मृत्यु हुई है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजा देते हुए मॉब लिंचिंग रोकने हेतु सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	1. सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग के पीड़ित या उनके आश्रित को मुआवजा भुगतान हेतु झारखण्ड राज्य पीड़ित प्रतिकर (अधिनियम) स्कीम–2016 में संशोधन करते हुए अधिसूचना संख्या–4941, दिनांक–31.08.2018 द्वारा आवश्यक प्रावधान किया गया है। 2. इन मामलों में भुगतान की कार्रवाई District Legal Services Authority की अनुशंसा पर की जाती है। अब तक 7 मामलों में 12.50 लाख रूपये की मुआवजा भुगतान किया गया है। शेष में भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 3. मॉब लिंचिंग की घटनाओं के रोकथाम के लिए ऐसे अपराधियों अथवा समाज में असत्य व भ्रामक अफवाह फैलाकर आम जनता को ऐसी घटना के लिए उत्तेजित/गुमराह करने वाले असमाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई हेतु प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। 4. मॉब लिंचिंग रोकने हेतु सरकार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए हर स्तर पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। किसी प्रकार की घटना होने पर मॉब लिंचिंग में शामिल अभियुक्तों के विरूद्ध काण्ड दर्ज कर त्वरित विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। कुल 30 काण्डों में 67 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तथा 240 के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक:–08/वि०स०(04)–01/2020 1255 / राँची, दिनांक– 15/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची/ अवर सचिव, प्रशाखा–07, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

(312)

श्री लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० के ~~प्रश्न~~ दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि शहीद बिनोद यादव, सी०आर०पी०एफ० 74 वाहिनी सामान्य ड्यूटी पद पर कार्य के दौरान दिनांक–04.04.2014 को छतीसगढ़ के सुकमा जिले के बुर्कापाड़ा में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा उनके आश्रित को नौकरी, मुआवजा तथा पेट्रोल पंप देने की घोषणा की गयी थी, किन्तु घोषणा के लगभग 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक उक्त घोषणा पर कारवाई नही हुई ;	i) विभागीय संकल्प सं०–2061, दिनांक–16.06.2014 के अनुसार उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ कर्त्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य के निवासी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मी की पत्नी/आश्रित को 2,00,000/–(दो लाख रूपये) विशेष अनुग्रह–अनुदान तथा अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी दिये जाने का प्रावधान है। ii) सरकारी नौकरी की सुविधा तभी देय होगी अगर व्यक्ति को केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रीय पुलिस बल के द्वारा नौकरी नहीं दी गयी हो। iii) यह स्वीकारात्मक है कि उपरोक्त संकल्प में अंकित सुविधा का लाभ शहीद के आश्रित को अभी तक नही दिया जा सका है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सी०आर०पी० जवान स्व० बिनोद यादव के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी, मुआवजा तथा पेट्रोल पंप, जमीन, आदि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	1. प्राप्त जानकारी के अनुसार शहीद विनोद यादव की आश्रित श्रीमती अंजू देवी को अनुकम्पा के आधार पर दफ्तरी के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई C.R.P.F संगठन में प्रक्रियाधीन है। तदनुसार संकल्प के तहत राज्यान्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति के अनुमान्यता नहीं बनती है। 2. शहीद के आश्रित को 2 लाख रूपये के अनुग्रह अनुदान का भुगतान 15 दिनों के अंदर कर दिया जायगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स० (02)–02/2020–1335/ राँची, दिनांक– 15/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–525, दिनांक–29.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

उपस्थित

लोहार को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना ।

*313. श्री सुदेश कुमार महतो--क्या मंत्री, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिले के विभिन्न प्रखण्डों में आवासित 'लोहरा' (खतियानधारी) जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है;

(2) क्या यह बात सही है कि लोहार और लोहरा जाति दोनों एक ही समुदाय, वर्ग एवं जाति के है;

(3) क्या यह बात सही है कि लोहार (खतियानधारी) जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है और उन्हें अनुसूचित जनजाति की सुविधाएँ प्रदान नहीं की जा रही है;

(4) क्या सरकार लोहार एवं लोहरा की त्रुटि में सुधार करते हुए लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) स्वीकारात्मक । लोहार जाति राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 120 पर सूचीबद्ध है । तद्नुसार लोहार समुदाय के लोगों को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) की सुविधाएं अनुमान्य है ।

(4) उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है ।

---

(314)

श्री रणधीर कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–36 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला में खाग पत्थलदाह को थाना का दर्जा प्राप्त है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। देवघर जिला में खाग को थाना एवं पत्थरडुडा को ओ०पी० को दर्जा प्राप्त है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त थाना भाड़े के मकान में चल रहा है, जिससे पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मी को कार्य करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। खाग थाना सरकारी छात्रावास में तथा पत्थरडुडा ओ०पी० तहसील कचहरी भवन में संचालित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार नये थाना भवन का निर्माण करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	बजट में निधि तथा सरकारी भूमि की उपलब्धता होने पर आगामी वित्तीय वर्षों में इन थाना/ओ०पी० के लिए भवन का निर्माण कराने पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स० (ता०)–806/2020–1240/ राँची, दिनांक– 14/03/2020।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–946, दिनांक–08.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

(315)

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 16.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– का.–13 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

तारांकित प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि राँची जिले के बुण्डू अनुमण्डल में ट्रेजरी की स्थापना अबतक नहीं की गई है।	स्वीकारात्मक।
(2.) क्या यह बात सही है कि ट्रेजरी की स्थापना नहीं होने से विभागीय कर्मचारियों को काफी परेशानियाँ हो रही है, साथ ही समय की भी बर्बादी हो रही है।	अस्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या बुण्डू अनुमण्डल में ट्रेजरी की स्थापना का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	कोषागार का कार्य Online हो जाने के कारण नए कोषागार की स्थापना पर वर्त्तमान समय में विचार नहीं किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि.स. (4)–08/2020....1257/वि०...... राँची/दिनांक 12.3.2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञाप सं. प्र. 510/वि०स०, राँची, दिनांक 29.02.2020 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.03.2020

(अविनाश कुमार सिंह)
अपर सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड,
राँची।

अनुमण्डल का दर्जा देना ।

*316. श्री रामचन्द्र सिंह--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखण्ड की आबादी अत्यधिक है, जिससे प्रशासनिक दृष्टिकोण से असुविधा होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला का बरवाडीह प्रखण्ड अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है;

(3) क्या यह बात सही है कि बरवाडीह प्रखण्ड को अनुमण्डल का दर्जा देने हेतु बरवाडीह प्रखण्ड आवश्यक आहर्ता पूर्ण करता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरवाडीह को अनुमण्डल का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) अस्वीकारात्मक । अनुमण्डल सृजन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त एवं संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त से अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में नये अनुमण्डल के सृजन के बिन्दु पर निर्णय लिया जाता है ।

लातेहार जिलान्तर्गत बरवाडीह को अनुमण्डल बनाने के संबंध में संबंधित उपायुक्त एवं प्रमण्डलीय आयुक्त से कोई प्रस्ताव प्राप्त नही है ।

(4) उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

317

श्री बिनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गत 07 अप्रैल 2019 को केन्द्रीय कारा, गिरिडीह में दमोदर निवासी मनीष रजक की संदिग्ध स्थितियों में जेल में मौत हो गयी ;	अस्वीकारात्मक। दिनांक–07.04.2019 को अपराह्न लगभग 02.00 बजे शौचालय के उपर लगे टंकी के पाईप में गर्दन में लाल गमछा बाँधकर लटकने का प्रयास मृत बंदी मनीष रजक द्वारा किया गया। कारा चिकित्सक द्वारा उक्त बंदी को सदर अस्पताल, गिरिडीह के लिए रेफर किया गया। सदर अस्पताल, गिरिडीह के चिकित्सक द्वारा अपहरण 03.15 बजे ईलाज के दौरान मृत घोषित किया गया। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं अन्त्य परीक्षा रिपोर्ट से यह मामला फाँसी लगाने से मृत्यु होना प्रतीत होता है।
2	क्या यह बात सही है कि मृतक का परिवार उस पर आश्रित था, जिसकी आर्थिक स्थिति बदतर है ;	मृतक के परिवार के संबंध में इस विभाग को जानकारी प्राप्त नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	यह मामला प्रथम दृष्ट्या आत्महत्या का प्रतीत होता है। ऐसे मामलों में मुआवजा राशि के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–03/2020–1079/ राँची, दिनांक–29/02/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–57, दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/2020
सरकार के संयुक्त सचिव।

(318)

श्री नवीन जायसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गृह विभाग झारखण्ड सरकार के पत्रांक संख्या–10129, दिनांक–06.10.1991 एवं प्रधान सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक संख्या–4504 दिनांक–21.07.2010 के आलोक में 01.01.1990 के बाद अवकाश प्राप्त चौकीदार कर्मियों के नामित को पुनः एक बार अपवाद स्वरूप बॉण्ड लेकर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गृह विभाग के पत्रांक संख्या–2032, दिनांक– 07.04.2015 में झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 बनायी गई बावजुद इसके वर्ष 2016 में पूर्व से कार्यरत सभी अवकाश प्राप्त चौकीदार कर्मियों के नामित को नौकरी से हटा दिया गया ;	आंशिक स्वीकारात्मक। i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No-3457/2011 में दिनांक–19.04.2010 को यह आदेश पारित किया गया था कि चौकीदार के रिक्त पद को सेवानिवृत चौकीदार के नामित/वंशानुगत से नही भरा जा सकता है। ऐसे पद Public advertisement द्वारा भरे जायें। ii) झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No-2072/2007 में दिनांक–17.11.2011 को यह आदेश पारित किया गया कि चौकीदार के किसी भी रिक्त पद को बिना Public advertisement के नहीं भरा जायेगा। iii) उपरोक्त आदेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक–1118, दिनांक–25.02.2016 द्वारा सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया कि 17.11.2011 के बाद बिना Public advertisement के नियुक्त चौकीदारों को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए सेवा से मुक्त किया जाय। iv) माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(PIL) No-1048/2016 में दिनांक–09.03.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक–1509, दिनांक–16.03.2016 द्वारा Cut off date of 17.11.2011 से बदलकर 19.04.2010 किया गया है। v) उपरोक्त से स्पष्ट होगा कि इस मामले में जो भी कार्रवाई की गयी है वह माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार हटाये गये पूर्व से कार्यरत सभी अवकाश प्राप्त चौकीदार कर्मियों के नामित को पुनः नौकरी देने एवं नयी नियुक्ति प्रक्रिया में सीधी नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	i) यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात चौकीदार के रिक्त पदों को Public advertisement के द्वारा ही भरा जा सकता है। ii) विभागीय पत्रांक–1118, दिनांक–25.02.2016 तथा पत्रांक–1509, दिनांक–16.03.2016 के फलस्वरूप सेवा से मुक्त चौकीदारों को एक बारगी उम्र में छुट देने तथा नियुक्ति में अधिमान्यता देने के लिए नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है तथा संशोधित नियमावली विभागीय पत्रांक–5382, दिनांक–09.10.2019 द्वारा सभी उपायुक्तों को भेज दी गयी है तथा दिनांक–29.01.2020 को सभी उपायुक्तों को इस संशोधित नियमावली के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। iii) सेवा विमुक्त चौकीदार अपने–अपने जिला में प्रकाशित अथवा प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के विरूद्ध Apply कर सकेंगे। इस नियुक्ति प्रक्रिया में उनको उम्र छुट के लाभ के साथ साथ पूर्व में की गयी नौकरी के विरूद्ध अधिमानता भी मिलेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–17/वि०स०–02/2020–1333/ रॉंची, दिनांक– 15/03/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–520, दिनांक–29.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

उत्तरार्द्धित

दोषि अधिकारियों पर कार्रवाई ।

*319. श्री सरयू राय--क्या मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निविदा के आधार पर चयनित एजेंसी को अनियमित तरीके से हटाकर सरकार ने वर्ष-2017 में इंडिया रिपोर्ट कार्ड प्रा०लि० नामक एक ऐसी कम्पनी को मनोनयन के आधार पर नियुक्त किया है, जो इसके लिए अहर्ता नहीं रखती थी;

(2) क्या यह बात सही है कि इस कम्पनी का क्रिया-कलाप संदेहास्पद रहा है तथा इसने अपने कार्य-काल के दौरान काफी अनियमितायें बरती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस अयोग्य कम्पनी को मनोनीत करने के जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर तथा इससे संबंधित अन्य व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । राज्य सरकार की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ-साथ मीडिया एवं पी०आर० कार्य के लिए मेसर्स प्रभातम एडवरटाइजिंग एजेंसी प्रा०लि० को निविदा के आधार पर तथा Ernst & Young LLP को ब्रांडिंग एवं सोशल मीडिया के प्रचार-प्रसार हेतु मनोनयन के आधार पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर रखा गया था ।

दो कंपनियों के कार्यरत होने से प्रचार-प्रसार, थीम सेलेक्शन, ब्रांडिंग पैटर्न एवं अन्य कार्यों के पुनरावृति की सम्भावना बनी रहती थी साथ ही उनके द्वारा किये जाने वाले कई कार्यों की प्रकृति एकसमान प्रतीत होने लगी । अत: एक ही एजेंसी का चयन आवश्यक हो गया जो सभी काम कर सके ।

इंडिया रिपोर्ट कार्ड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से मीडिया पी०आर० एवं सोशल मीडिया के समस्त कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ । इनके द्वारा विभाग के समक्ष दिये गये प्रेजेन्टेशन को उचित पाया गया । साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि इनकी टीम में कार्यरत कर्मियों का ब्रांडिंग के क्षेत्र में लम्बा अनुभाव रहा है और इस कार्य में इनकी टीम दक्ष है । अर्थात कंपनी वांछित कार्य के लिए अहर्ता रखती है ।

व्यय की तुलना करने पर ज्ञात हुआ कि मेसर्स प्रभातम एडवरटाइजिंग एजेंसी प्रा०लि० एवं Ernst & Young LLP दोनों पर 44,78,428/- रु० प्रतिमाह व्यय हो रहा था जबकि इन्डिया रिपोर्ट कार्ड प्रा०लि० प्रतिमाह 40,22,569/- रु० प्रतिमाह पर कार्य करने को तैयार था ।

अत: इन्डिया रिपोर्ट कार्ड प्रा०लि० के प्रेजेन्टेशन, उनकी कार्यक्षमता एवं अपेक्षाकृत कम व्यय 40,22,569/-रु० प्रतिमाह को देखते हुए दिनांक 23 मई, 2017 को मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रभातम एडवरटाइजिंग एजेंसी प्रा०लि० तथा Ernst & Young LLP को हटाने एवं इन्डिया रिपोर्ट कार्ड प्रा०लि० का झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मनोनयन के आधार पर नियुक्त करने पर सहमति दी गई ।

(2) अस्वीकारात्मक । चयनित एजेंसी द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-468, दिनांक 09 जून, 2017 में उल्लेखित कार्यों को संतोषजनक ढंग से किया गया है तथा अनियमितता के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

(3) उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

---

(290)

श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ग०–18 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स०	**श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन प्रभाग**
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला का नामकुम, अनगड़ा एवं ओरमांझी प्रखण्ड अत्याधिक तड़ित प्रभावित प्रखण्ड है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त प्रखण्डों में प्रत्येक वर्ष बिजली गिरने से सैकड़ों ग्रामीण एवं मवेशी असमय ही काल–कवलित हो जाते है	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त प्रखण्डों के विभिन्न स्थानों में तड़ित रोधक यंत्र लगवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा समय–समय पर सभी विभागों को अपने नियंत्रणाधीन सरकारी भवनों पर तड़ित रोधक यंत्र लगवाने के लिए अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07 / गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–06 / 2020– 199 / आ०प्र०, दिनांक– 13/03/2020

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची / अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/2020
(सुनील कुमार झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–07 / गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–06 / 2020– 199 / आ०प्र०, दिनांक– 13/03/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–524 / वि०स०, दिनांक–22.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/2020
सरकार के अवर सचिव।

*321. श्री सुदेश कुमार महतो--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिले के विभिन्न प्रखण्डों में आवासित "चिक बड़ाईक" (खतियानधारी) जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है;

(2) क्या यह बात सही है कि बड़ाईक (खतियानधारी) और चिक बड़ाईक (खतियानधारी) जाति दोनों एक ही समुदाय, वर्ग एवं जाति के है;

(3) क्या यह बात सही है कि बड़ाईक (खतियानधारी) जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है और उन्हें अनुसूचित जनजाति की सुविधाएँ प्रदान नही की जा रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बड़ाईक एवं चीक बड़ाईक की खतियानी त्रुटि और शब्दावली विसंगतियों को दूर करते हुए बड़ाईक जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) स्वीकारात्मक ।

(4) उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है ।

322

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के चन्दवा प्रखण्ड का बेतर गाँव प्रखण्ड मुख्यालय से 22 कि०मी० दूर है और सड़क मार्ग से (NH 75) से पहुंचने में लगभग 40 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि लातेहार, उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, द्वारा वर्ष 2019 में ग्राम बेतर में पुलिस पिकेट की स्थापना की अनुशंसा की गयी है, जिसका अबतक क्रियान्वयन नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि पिछले दो माह में इस ग्राम में दो बड़ी उग्रवादी घटनाएं हुई है, जिसमें एक घायल दो व्यक्ति जीवन मृत्यु के बीच में जूझ रहें है और दूसरी घटना में एक घायल और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शीघ्र पुलिस पिकेट स्थापित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लातेहार जिला के चन्दवा प्रखण्ड के बेतर ग्राम में पुलिस पिकेट की स्थापना संबंधी कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–07/2020–1319/ राँची, दिनांक– 13/03/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–521, दिनांक–29.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

323

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सशस्त्र पुलिस 01 राँची द्वारा राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बल में 800 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जनवरी 2012 में प्रकाशित प्रथम लिस्ट में 642 अभ्यर्थियों को योगदान कराया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शेष बचे हुए 158 अभ्यर्थियों की दूसरी लिस्ट निकालकर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	1. वस्तुतः स्थिति यह है कि प्रथम सूची के अनुसार जनवरी 2012 में 433 व्यक्तियों ने योगदान दिया। 2. जून 2012 में द्वितीय सूची प्रकाशित की गई जिसके अनुसार 209 व्यक्तियों ने योगदान दिया। 3. विभागीय अधिसूचना संख्या–718, दिनांक–19.02.2009 की कंडिका–12 के अनुसार तृतीय सूची प्रकाशित करने का प्रावधान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अब और कोई सूची प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15 / वि०स०–01 / 2020– 1316 / राँची, दिनांक– 13/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–641, दिनांक–02.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुमण्डल बनाना ।

उत्तरप्रति

*324. श्री दुलू महतो--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के सदर अनुमण्डल के अलावा कोई अन्य अनुमण्डल नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिले में एक मात्र अनुमण्डल होने के कारण कार्य का अतिरिक्त बोझ है और सुदूर क्षेत्र के लोगों को इससे भारी परेशानी होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बाघमारा (कतरास) को अनुमण्डल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक । अनुमण्डल सृजन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त एवं संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त से अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में नये अनुमण्डल के सृजन के बिन्दु पर निर्णय लिया जाता है ।

धनबाद जिलान्तर्गत बाघमारा (कतरास) को अनुमण्डल बनाने के संबंध में संबंधित उपायुक्त एवं प्रमण्डलीय आयुक्त से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है ।

(3) उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

325

श्री लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–म–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के महुआटांड थाना क्षेत्रान्तर्गत स्व० राकेश महतो, पिता–स्व० घनेश्वर महतो, ग्राम–बड़की पुन्नू, टोला–बुटगोड़वा, जिला–बोकारो को दिनांक–24.08.2017 को नक्सलियों द्वारा घर से अपहरण कर जान से मार दिया गया ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार नक्सली हत्या में मारे गये लोगों के आश्रित को नियोजन और मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है, परन्तु घटना के 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्व० राकेश महतो के आश्रित को सरकारी नौकरी और मुआवजा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प–423, दिनांक–16.02.2006 एवं 2598, दिनांक–09.06.2011 के तहत उग्रवादी हिंसा में मारे गये समान्य नागरिकों / गैर सरकारी व्यक्ति के आश्रित को मृतक / आश्रित दावेदार का अपराधिक इतिहास नही रहने की स्थिति में अनुग्रह–अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान है। मृतक स्व० राकेश महतो का अपराधिक इतिहास पाया गया है। तदनुसार उनके आश्रित को उक्त लाभ अनुमान्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18 / वि०स० (02)–01 / 2020–1318 / राँची, दिनांक– 13/03/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–526, दिनांक–29.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

326

श्री समरी लाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज थाना का निर्माण वर्ष 2009 में हुआ था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि काफी समय बीत जाने के बावजूद थाने के भूमि भवन का मूल्य भुगतान नहीं हो सका है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि मूल्य भुगतान नहीं होने से भूमि मालिक को काफी परेशानी हो रही है ;	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि भू–मालिक द्वारा विभाग को काफी पत्राचार के बावजूद भी मूल्य भुगतान नहीं हो सका है;	स्वीकारात्मक।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मैक्लुस्कीगंज थाना के लंबित मूल्य भुगतान भू–मालिक को दिलाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	i) इस भूमि के अर्जन हेतु तैयार किये गये 30.20 लाख रूपये के प्राक्कलन के विरूद्ध 24.16 लाख रूपये की राशि विभाग द्वारा मई, 2011 में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची को उपलब्ध करा दी गयी थी। ii) भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण भू–मालिक को राशि का भुगतान नहीं हो सका है। भू–अर्जन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची को दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03 / वि०स० (ता०)–804 / 2020– 1253 / राँची, दिनांक– 15/03 /2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–596, दिनांक–01.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग राँची के विज्ञापन संख्या–09/17 के माध्यम से झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक समिति प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 1544 पद की रिक्तियाँ थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राप्तांक में छुट दी गई थी ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग अहर्तांक में किसी भी प्रकार की छुट नहीं दी गई थी ;	स्वीकारात्मक।
4	यह बात सही है कि गृह विभाग के ज्ञापांक–16/था०ना०27/17/3802, दिनांक–16.07.2018 को मंत्री परिषद का अनुमोदन हेतु संलेख प्रस्ताव लाया गया, जिसके कंडिका "ग" में न्यूनतम अहर्तांक छुट देते हुए इसी विज्ञापन में द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित कर नियुक्ति दी जानी थी, जिसे छोड़कर अन्य प्रस्ताव को पारित किया गया ;	अस्वीकारात्मक। जो संलेख मंत्रिपरिषद के समक्ष लाया गया था उसकी कंडिका 1(ग) में इस आशय का उल्लेख किया गया था कि कतिपय श्रोतों से यह अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि नियमावली में प्रावधानित न्यूनतम अहर्त्तांक, शारीरिक दक्षता मापदण्ड को घटाकर विज्ञापन संख्या–09/2017 के विरूद्ध आयोजित परीक्षा से ही द्वितीय सूची प्रकाशित की जाय। परन्तु मंत्रिपरिषद के समक्ष इस आशय का प्रस्ताव नहीं रखा गया था।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार गृह विभाग के ज्ञापांक–3802, दिनांक–16.07.2018 के कंडिका "ग" को पुनः मंत्री परिषद में शामिल करते हुए द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित कर 1144 रिक्तियाँ भरने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	पुलिस अवर निरीक्षक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली में विभागीय अधिसूचना संख्या–4054, दिनांक–19.07.2018 के द्वारा कतिपय संशोधन किये गये है, जो अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी है। विज्ञापन संख्या–09/2017 द्वारा आयोजित पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय परीक्षा पर यह संशोधन प्रभावी नहीं है। सम्प्रति द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–09/2020–1317/ राँची, दिनांक– 13/03/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–773, दिनांक–05.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\Questions (Budget) 20.doc P-3

(329)

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में अग्निशामक मुख्यालय से लेकर जिला अग्निशामक कार्यालयों में अनेकों महत्वपूर्ण पद जैसे– राज्य एवं जिला अग्निशामक पदाधिकारी, सहायक अग्निशामक पदाधिकारी पद के साथ–साथ अन्य पद वर्षों से रिक्त है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पदों के रिक्त होने के कारण संबंधित कार्यों के संचालन में लोगों को आये दिन अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन से लेकर अबतक खण्ड–1 में वर्णित पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्यहित में खण्ड–1 में वर्णित रिक्त पदों पर नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. राज्य गठन के पश्चात अग्निक चालक के पद पर वर्ष 2009 में 197 एवं वर्ष 2017 में 68 अग्निक चालकों की सीधी नियुक्ति की गई है। 2. राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का 01 पद एवं अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का 02 पद स्वीकृत है, जो रिक्त है। यह प्रोन्नति का पद है। मूल पद रिक्त रहने के कारण इस पद पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है। 3. प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी के 06 पद स्वीकृत है। इनमें से 03 पद सीधी नियुक्ति एवं 03 पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है। 03 पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग (JPSC) को भेजी गई है, जिस पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। मूल पद रिक्त रहने के कारण शेष 03 पद पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है। 4. सहायक प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी का 12 पद स्वीकृत है, जो रिक्त है। सभी पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है। मूल पद रिक्त रहने के कारण प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है। 5. फायर स्टेशन ऑफिसर कुल 44 पद स्वीकृत है। इसमें से 11 पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है, जिसपर प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शेष 33 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को भेजी गई है एवं नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 6. अग्निक चालक का कुल 502 पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध 223 पद अग्निक चालक कार्यरत है। शेष 279 पद रिक्त है, जिसपर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05/वि०स०–07/01/2020–1238/ राँची, दिनांक– 13/03/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–523, दिनांक–29.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।